

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या—४५ / २०२०

बबलु उर्फ औरंगजीब खान उर्फ मो० औरंगजेब खान याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री आर०सी०पी० साह, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री एच०पी० सिंह, ए०पी०पी०।

4 / 24.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्ता आदित्यपुर थाना काण्ड संख्या 161 वर्ष 2017 तदनुसार, जी०आर० संख्या 610 वर्ष 2017 (एस) के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने अमजद हुसैन को एक देशी पिस्टौल और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। कथित अमजद हुसैन ने याचिकाकर्ता को अपने साथी के रूप में खुलासा किया। याचिकाकर्ता दिनांक 13.08.2019 से हिरासत में है।

अभिरक्षा की अवधि के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्ता को 10,000/- रु० (दस हजार रुपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला की संतुष्टि पर आदित्यपुर थाना काण्ड संख्या 161

वर्ष 2017 तदनुसार, जी0आर0 संख्या 610 वर्ष 2017 (एस) के संबंध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)